बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
-::कार्यालय आदेश::-

कार्यालय आदेश संख्या - 555 पटना, दिनांक - 26.9.25

प्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा दर्ज निगरानी थाना काण्ड सं0-43/2022 दिनांक 26.08.2022 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अप्राथमिकी अभियुक्त खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 को कार्यालय आदेश सं0-45-सह-पठित ज्ञापांक 1562 दिनांक 20.09.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 2200 अनु0 दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक 3511 दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातो के आलोक में श्री सुल्तान के विरूद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 401 अनु0 दिनांक 23.02.2023 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सुल्तान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश सं0-1727 अनु0 दिनांक 14.08.2023 द्वारा श्री सुल्तान के विरूद्ध जॉच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जॉच आयुक्त के पत्रांक 64 दिनांक 15.05.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप सं0-01, 02, 03, 04 एवं 06 को प्रमाणित एवं आरोप सं0-05 को अप्रमाणित माना गया।, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री सुल्तान को विभागीय पत्रांक 6213 अनु0 दिनांक 18.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सुल्तान के पत्रांक शून्य दिनांक 08.07.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. श्री सुल्तान के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सुल्तान द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभ्यावेदन की समग्र समीक्षा निम्न है :-

(A) प्रथम आरोप निम्न है :-

श्री सुल्तान द्वारा घोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021-22 में स्वयं के पास नगद के रूप में तथा उनकी पत्नी के पास कुल रू० 1,47,000/- होने का उल्लेख है जबकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई तलाशी में रू० 97,21,000/- पाया गया।

जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन में अभियोजन पक्ष की ओर से दायर State Exhibits-1 की द्वितीय कंडिका अंश-'ग' क्रम संख्या-6 में कुल नगद राशि 98,68,000/- रूपये बरामदी का उल्लेख है। State Exhibits-2 के तहत तलाशी-सह-जब्ती-सह-इन्वेन्ट्री सूची की छायाप्रति में दिनांक-27.08.2022 को लाईनपाड़ा मोहल्ला, थाना-किशनगंज स्थित श्री संजीव कुमार के मकान के भू-तल में खुर्रम सुल्तान के किराये के फ्लैट की तलाशी-सह-जब्ती-सह-इन्वेन्ट्री सूची की कंडिका-51 में नकदी राशि 16,50,000/- रूपये दर्ज है। इसी State Exhibits-2 की दिनांक-27.08.2022 को श्री खुर्रम सुल्तान के रोड नं०-10 इंद्रपुरी, केसरी नगर, पटना स्थित

हर्षवर्धन अपार्टमेंट के फ्लैट–501 की तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेन्ट्री सूची की कंडिका–75 में 82,18,000/– रूपये जब्ती अंकित है। State Exhibits(SE) में गवाहों के हस्ताक्षर हैं। पटना मे की गई तलाशी की जब्ती सूची पर फिरदौस रहमान पत्नी श्री खुर्रम सुल्तान के हस्ताक्षर भी हैं।

श्री खुर्रम सुल्तान द्वारा अपने बचाव में यह अंकित किया है कि यह राशि उनकी नहीं है, यद्यपि यह राशि उनके परिसर से जब्त की गई है। उन्होंने बचाव बयान की एक अन्य कंडिका में कहा है कि श्री संजय कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के द्वारा दिये गये इन्वेलप के स्वयं मात्र कस्टोडियन थे तथा उन्हें जानकारी नहीं थी कि सील्ड इनवेलप में 16,50,000/– रूपये है।

Defence Witness-1 के Deposition में प्रति परीक्षण की कंडिका–3 में श्रीमती फिरदौस रहमान द्वारा घर की छापेमारी में 82,000,000/– रूपये बरामदगी की स्वीकारोक्ति की है।

श्री खुर्रम सुल्तान द्वारा वर्ष 2021 के लिए समर्पित चल–अचल सम्पत्ति विवरणी जो दिनांक–11.02.2022 को हस्ताक्षरित है में श्री सुल्तान के पास 95,000/– नकदी तथा श्रीमती फिरदौस रहमान के पास 52,000/– रूपये नकदी है, कुल 1,47,000/– रूपये राशि नकदी है, का उल्लेख है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री सुल्तान से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राशि की बरामदगी जो की गयी वह उनके वर्ष 2021 के Decleared नगद से कहीं अधिक हैं।

विभाग में श्री सुल्तान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में उसकी स्वीकारोक्ति इस आधार पर नहीं की गई है कि Raiding Party अपने साथ दो बैग लेकर घर में प्रवेश किए एवं Raid करने के पूर्व Bag खोलकर नहीं दिखाया गया। उनका कहना है कि Raiding Party ने वृहद राशि उनके घर में Plant किया और उन्हें गलत तरीके से trap किया गया। साथ ही किशनगंज के श्री सुल्तान के आवास पर बरामद राशि रू0 16,50,000/– के संबंध में श्री सुल्तान द्वारा कहा गया है कि उक्त राशि बंद लिफाफे में थे जो श्री संजय कुमार राय द्वारा उन्हें सुरक्षित रखने हेतु दिया गया था। बंद लिफाफे के अंदर राशि है, इसकी सूचना उन्हें नहीं थी। श्री संजय कुमार राय, तदेन का0 अभि0 के वह अधीनस्थ थे एवं उक्त कारण से बंद लिफाफे के अंदर क्या है, यह जाने बिना उनके द्वारा लिफाफा अपने यहाँ रखा गया था।

समीक्षा: उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन में इस संबंध में आरोप प्रमाणित होने संबंधी उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध श्री खुर्रम सुल्तान द्वारा कोई साक्ष्यपूर्ण तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः इस बिन्दु पर श्री सुल्तान द्वारा प्रस्तुत द्वितीय बचाव बयान स्वीकृत योग्य नहीं है।

(B) द्वितीय आरोप निम्न है :—

श्री सुल्तान द्वारा घोषित संपत्ति विवरणी वर्ष 2021—2022 में विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल 5 निवेश से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख किया गया जबकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँच के क्रम में 12 खातों से संबंधित दस्तावेज एवं एल0आई0सी0 तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में कुल 11 निवेश से संबंधित दस्तावेज पाये गये।

जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन मे अंकित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर State Exhibits-1 के द्वितीय कंडिका अंश—'ग' के क्रम संख्या—(2) एवं (3) में कुल 12 बैंक दस्तावेज तथा 05 LIC निवेश दस्तावेज का उल्लेख है State Exhibits-2 के तहत तलाशी—सह—जब्ती—सह—इन्वेंट्री सूची की छायाप्रति में दिनांक—27.08.2022 को लाइनपाड़ा मुहल्ला, थाना किशनगंज स्थित श्री संजीव कुमार के मकान के भूतल में खुर्रम सुल्तान के किराये के फ्लैट की तलाशी—सह—जब्ती—सह—इन्वेंट्री सूची की कंडिका—49 में एक SBI Passbook दर्ज है। इसी State Exhibits-2 की दिनांक—27.08.2022 को श्री खुर्रम सुल्तान के रोड नं0—10 इंद्रपुरी, केसरी नगर, पटना स्थित हर्षवर्धन अपार्टमेंट के फ्लैट—501 की तलाशी—सह—जब्ती—सह—इन्वेंट्री सूची की कंडिका—46 से 67 तक में बैंक खाता दस्तावेज तथा LIC एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के कागजात दर्ज है।

श्री सुल्तान ने अपने बचाव बयान में अंकित किया है कि विजिलेंस विभाग में उपलब्ध कराये गये Statement संख्या— I से VI में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। Defence Exhibits(D.E)-6 के Statement V में 3 बैंक खाता एवं 03 F.D. का उल्लेख है, परंतु पोस्ट—ऑफिस Recurring Deposit का उल्लेख नहीं है। वहीं श्री सुल्तान के स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी 2021 में जो बैंक खाता विवरणी दी गयी है उसमें 03 खाते हैं (जिसमें से 01 पुत्री का खाता Statement V में अंकित नहीं है) तथा 01 PNB खाता स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी 2021 में अंकित नहीं है। इसी प्रकार पोस्ट—ऑफिस Recurring Deposit का भी उल्लेख नहीं है, परंतु स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी 2021 में है। इसी प्रकार Defence Exhibits-6 Statement V एवं VI में 3 LIC (596308272, 596305776 केनरा बैंक लाइफ एंशयोरेंस) का उल्लेख नहीं है। स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी 2021 में अंकित Bajaj Alliance Policy एवं Amway max Insurance Policy का उल्लेख Statement V एवं VI में नहीं है।

State Exhibits-1 एवं State Exhibits-2 में तलाशी—सह—जब्ती—सह—इन्वेंट्री सूची में पाये गये उपरोक्त कागजात किस परिस्थिति में इनके स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी 2021 से अधिक है, इस बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 (18) के अधीन साक्ष्य में दिखने वाली परिस्थितियों के संबंध में सामान्य पूछताछ हेतु लिये गये उनके अभिसाक्ष्य में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

इस प्रकार प्रमाणित है कि श्री सुल्तान द्वारा स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021 में उल्लेखित बैंक खाता, LIC एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के निवेश के दस्तावेज की संख्या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जाँच में पाये गये दस्तावेज से भिन्न है।

विभाग में श्री सुल्तान द्वारा इस संबंध में समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में अंकित किया गया है कि वर्ष 2020–2021 की घोषणा में 4 बैंक Account और LIC तथा 5 निवेश का विवरण उनके द्वारा दिया गया है। शेष बैंक खाता लगभग निष्क्रिय स्थिति में होने का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है और यह भी अंकित किया गया है कि ऐसे खाते से कोई लेन–देन नहीं किया जा रहा है। निष्क्रिय बैंक खाते होने के कारण उनके द्वारा सम्पति विवरणी में इसका विवरण नहीं दिया गया। SBI max Insurance Policy को वर्ष 2019 में ही वापस ले लिया गया है और आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए इस बारे में कुछ नहीं छिपाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बुलेट मोटरसाईकिल वर्ष 2013 में बंधक पर खरीदी गयी है और 693 वर्गफीट की जमीन वर्ष 2008 में खरीदी गयी है, यानि वर्ष 2020–21 की घोषणा से काफी पहले और दानापुर में फ्लैट भी वर्ष 2016 में खरीदा गया है। और उसी के लिए SBI, दानापुर शाखा पटना से ऋण लिया गया है और इस तरह अवैध तरीके से कुछ भी अर्जित नहीं किया है और सभी खरीदारी कानूनी तरीकों से की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि छापा मारने वाले दल ने यह साबित नहीं किया है कि ऐसी सम्पत्ति अवैध तरीके से खरीदी गयी है।

समीक्षाः उपरोक्त की समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री सुल्तान द्वारा वर्ष 2021 में समर्पित वार्षिक सम्पत्ति विवरणी से इतर निवेश के प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है और निवेश के संदर्भ में तथ्यों को सम्पत्ति विवरणी में छिपाया गया है।

अतः इस विन्दु पर श्री सुल्तान द्वारा प्रस्तुत द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

(C) तृतीय आरोप निम्न हैः–

निगरानी अन्वेषण द्वारा तलाशी के क्रम में कार्यपालक अभियंता श्री संजय कुमार राय के लिए रिश्वत की राशि संबंधी कागज की पर्ची बरामद किया गया।

जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर State Exhibits-1 की द्वितीय कंडिका अंश–(ग) (8) में कार्यपालक अभियंता के लिये रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब संबंधी कागज की पर्ची के बरामदगी का उल्लेख है। State Exhibits -2 के तहत तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री सूची की छायाप्रति में दिनांक–27.08.2022 को लाईनपाड़ा मोहल्ला, थाना–किशनगंज स्थित श्री संजीव कुमार के मकान के भू–तल में खुर्रम सुल्तान के किराये के फ्लैट की तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री सूची की कंडिका–50 में "छोटे–छोटे कागज के टुकड़े पर संवेदकों का नाम एवं Time/Ex. लिखा पुर्जा तथा संवेदकों का नाम लिखा हुआ काग़ज का पर्ची, जिसमें रुपया लपेटकर रखा गया एवं खुर्रम सुल्तान, लेखा लिपिक

के बताए अनुसार कार्यपालक अभियंता श्री संजय कुमार राय हेतु लिए गए रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब संबंधित पर्ची की कुल 17 प्रति" दर्ज है।

श्री खुर्रम सुल्तान द्वारा अपने बचाव में यह अंकित किया गया है कि श्री संजय कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के द्वारा दिये गये इन्वैलप के स्वयं मात्र कस्टोडियन थे तथा उन्हें जानकारी नहीं थी कि सील्ड इनवैलप में भ्रष्टाचार के प्राप्ति की सूचना अंकित है।

State Exhibits-2 में किशनगंज के मकान में बनाई गयी तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री सूची की कंडिका–50 में संवेदक का नाम लिखा हुआ कागज की पर्ची, जिसमें रूपया लपेटकर रखा गया, की जब्ती दो गवाहों के सामने की गयी। तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री प्रकरण के मद्देनजर Preponderance of Probability यही है कि यह कागजात रिश्वत की राशि के हिसाब–किताब के ही थे। कोई भी Prudent reasonable person इन परिस्थितियों में की गयी जब्ती को रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब ही मानेगा।

इस प्रकार प्रमाणित है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तलाशी के क्रम में कार्यपालक अभियंता के लिए रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब संबंधी कागज की पर्ची बरामद किया जाना श्री सुल्तान के भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

श्री सुल्तान द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में यह अंकित किया है कि छापा दल ने यह साबित नहीं किया है कि घूस लेन–देन का विस्तारित रिकॉर्ड श्री सुल्तान के हाथ से लिखा गया है, बल्कि छापे के समय श्री सुल्तान न तो घर में मिले और न ही इलाके के आसपास और श्री संजय कुमार राय से संबंधित एक व्यक्ति किशनगंज में छापेमारी के दौरान देखा गया।

समीक्षाः– श्री सुल्तान द्वारा द्वितीय बचाव बयान में अंकित तथ्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि श्री सुल्तान द्वारा रिश्वत की राशि का हिसाब–किताब संबंधी कागज की पर्ची उनके घर से बरामद होने के संबंध में इन्कार नहीं किया गया है। उनके द्वारा मात्र यह कहा गया है कि उक्त पर्ची उनके हाथ से नहीं लिखा गया है।

अतः इस बिन्दु पर श्री सुल्तान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

(D) चतुर्थ आरोप निम्न हैं:–

श्री सुल्तान द्वारा घोषित समर्पित 2021–22 में कुल सोना चांदी रू0 8,44000/– का घोषित किया गया, जबकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा तलाशी के क्रम में रू0 17,19,330/– का जेवरात/आभूषण पाया गया।

जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दायर State Exhibits-1 की द्वितीय कंडिका अंश–'ग' (1) जेवरात का मूल्य राशि 17,09,330/– दर्शाया गया है। State Exhibits-12 की दिनांक–27.08.2022 को श्री खुर्रम सुल्तान के रोड नं0–10 इंद्रपुरी, केसरी नगर, पटना स्थित हर्षवर्धन अपार्टमेंट के फ्लैट–501 की तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री

सूची की कंडिका–42 में कुल 11 क्रम में जब्त जेवरात के संबंध में "स्वर नारायण कनक मंदिर ज्वेलर्स लोकनायक भवन, फ्रेजर रोड, पटना के द्वारा उपरोक्त सोने के जेवरातों का कुल वजन 339.100 ग्राम एवं चांदी के कुल जेवरातों का वजन 1645 ग्राम। उपरोक्त सभी सोने एवं चांदी के जेवरातों का कुल मूल्य 17,19,330 रुपया भैलूअर द्वारा लगाया गया है" बताया गया है।

श्री खुर्रम सुल्तान द्वारा अपने बचाव में अंकित किया है कि जेवरात इत्यादि के संबंध में विजिलेंस को उपलब्ध करायी गयी Statement I से VI में वस्तुस्थिति अंकित है। Defence Exhibits -6 Statement III में श्रीमती फिरदौस रहमान के नाम से ज्वेलरी मैरिज गिफ्ट बताया गया है। इस बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम–17 (18) के अधीन साक्ष्य में दिखने वाली परिस्थितियों के संबंध में सामान्य पूछताछ हेतु लिये गये उनके अभिसाक्ष्य में उन्होंने बताया है कि स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021 में पत्नी का गहना भूलवश नहीं लिखा गया था।

वहीं, स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021 में अंकित किये गये सोने के आभूषण की मात्रा एवं दूसरी ओर तलाशी–सह–जब्ती–सह–इन्वेंट्री सूची में अंकित सोने के जेवरात की मात्रा में वृहद भिन्नता है। सुल्तान की स्वीकारोक्ति कि उनके द्वारा सोने के जेवरात के संबंध में स्वघोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021 में भूलवश अंकित नहीं की गयी है, से Balance of Convenience उनके विरूद्ध चला जाता है। इस प्रकार प्रमाणित है कि श्री सुल्तान द्वारा घोषित सम्पत्ति विवरणी वर्ष 2021 में घोषित कुल सोना, चांदी एवं आभूषण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बरामद किये गये सोना, चांदी एवं आभूषण से कम है एवं श्री सुल्तान द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है।

विभाग में इस संबंध में समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में श्री सुल्तान ने अंकित किया है कि विभाग को कभी भी कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी गयी है। शेष सोने के आभूषण उनकी पत्नी के साथ–साथ बेटी एवं माँ का है जो उन्हें उनके रिश्तेदार द्वारा उपहार में दिये गये थे और वह स्त्री धन है। और ऐसे सोने और चांदी के आभूषण उनकी एक मात्र सम्पत्ति है। उन्होंने ऐसा सोना एवं चांदी कभी नहीं खरीदा है और छापादल को सोने के खरीद की रसीद का एक भी टुकड़ा नहीं मिला है, जो दर्शाता है कि वह बिल्कुल निर्दोष है और छापादल द्वारा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

समीक्षाः– श्री सुल्तान द्वारा वर्ष 2021–2022 की सम्पति विवरणी में अंकित सोने, चांदी के मूल्य से अधिक मूल्य का जेवरात/आभूषण पाये जाने के संबंध में समर्पित द्वितीय बचाव बयान से स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त पाये गये जेवरात/आभूषण को स्त्री धन/उपहार में प्राप्त आभूषण अंकित किया गया है। परंतु उनके द्वारा सम्पति विवरणी में तथ्य छिपाने के संबंध में अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः इस बिदु पर श्री सुल्तान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

(E) पंचम आरोप निम्न है:–

श्री खुर्रम सुल्तान, तदेन लेखा लिपिक ग्रामीण कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर प्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है। वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में तथ्यों को छुपाया गया। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि Issue for Determination की कंडिका–1 से 4 प्रमाणित पाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि श्री सुल्तान द्वारा अपने चल–अचल सम्पत्ति विवरणी में जान–बुझकर Misleading सूचनाएं दी गयी तथा उनके ज्ञात आय स्रोत से अधिक वित्तीय संसाधन/सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाये।

श्री सुल्तान द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में इस आरोप का अलग से कोई जवाव नही दिया गया है।

समीक्षा: उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री सुल्तान द्वारा अपने वार्षिक संपत्ति विवरणी में भ्रामक सूचनाएँ अंकित की गई है एवं उनके द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि श्री खुर्रम सुल्तान, तदेन लेखा लिपिक, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–19 (6) के तहत गंभीर कदाचार के दोषी हैं।

अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति निलंबित को निम्न दंड संसूचित किया जाता है:–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(x) के तहत सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(हस्ताक्षर) 26.09.25
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–07/2022 10451 /पटना, दिनांक:– 26.9.25

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26.09.25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–7–07/2022 10451 /पटना, दिनांक:– 26.9.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.09.25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:–2/अ०प्र०–7–07/2022 10451 /पटना/दिनांक:– 26.9.25

प्रतिलिपि:–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.09.25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:– 2/अ०प्र०–7–07/2022 10451/पटना/दिनांक:– 26.9.25

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–8/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री खुर्रम सुल्तान, तत्कालीन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति मुख्यालय मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, पत्राचार का पता–ग्राम–मुबारकपुर लेन, दहियावाँ, पोस्ट–छपरा, जिला–सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.09.25

अभियंता प्रमुख